न्यायालय उपखण्डाधिकारी राजाखेडा (धौलपुर)

क्रमांक / कोर्ट / 2025 / 368 दिनांक 27/6/25

तहसीलदार
राजाखेडा

विषय :– व मु0 उनवानी प्रकरण शीला देवी बनाम अर्जन सिंह बगै0 में निर्णय की पालना करने हेतु।

उक्त उनवानी प्रकरण शीला देवी बनाम अर्जन सिंह बगै0 प्रार्थना पत्र अन्तंर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 एल0आर0ए0 इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 25.06.2025 को निर्णित किया जा चुका है। अतः आपके पास निर्णय दिनांक 25.06.2025 की फोटो प्रति पत्र के साथ सलंग्न कर भिजवायी जा रही है मुताविक निर्णय पालना कर रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

उपखण्डाधिकारी
राजाखेडा

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

उपखण्ड अधिकारी, राजाखेड़ा * न्यायालय * जिला–धौलपुर (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा

पीठासीन अधिकारीः–   वर्षा मीना (आर0ए0एस0)
प्रकरण कमांक– 07 / 2024
व. मु. उन.

1. शीला देवी पत्नी राम सहाय कौम राजपूत निवासी गांव धारापुरा तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर

----प्रार्थीगण

बनाम

1. अर्जुन सिंह
2. कपूरा
3. विशाल

} पि0 वेदी } कौम जाटव निवासीगण धारापुरा तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर

4. विजवासी पुत्र बिहारी कौम लोधी निवासी गांव धारापुरा तहसील राजाखेडा
5. तहसीलदार राजाखेडा

---- अप्रार्थीगण

प्रार्थाना पत्र अन्तर्गत धारा –111 सपठित धारा 128 एल0आर0एक्ट 1956

उपस्थिति :–

1. श्री रविन्द्र सिंह चौहान अभिभाषक प्रार्थीगण

दिनांक :– 25.06.2025

निर्णय

प्रार्थीगणों की ओर से यह प्रार्थना पत्र इन तथ्यों के साथ पेश किया गया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी ख0न0 2412 / 2269 रकबा 0.7588 गांव धारापुरा तहसील राजाखेडा में स्थित है प्रार्थिया की उपरोक्त खातेदारी काश्त व कब्जे की आराजी से या उसके किसी पार्ट से अप्रार्थीगण का कोई संबंध सराकार नहीं हैं और ना ही कभी रहा। अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 03 की खातेदारी का खेत ख0नं0 2417 / 2269 प्रार्थिया की खातेदारी के उपरोक्त खेत के उत्तर में एवं अप्रार्थी संख्या 04 की खातेदारी का खेत ख0नं0 2385 / 2215 व जानि दक्षिण में स्थित है जिनकी बाउन्ड्री के संबंध में अप्रार्थीगण आए दिन विवाद करते रहते हैं। अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 04 अनु0 जाति के है प्रार्थिया गरीब औरत जात है, इस कारण अप्रार्थीगण की नीयत में बदी आ गई है।, इस कारण आए दिन उक्त आराजी की मेढ, हद, सीमाओं के बारे में आये दिन बिवाद करते रहते हैं, कहने पर झूठे हरिजन अत्याचार के केस महिलाओं से लगाने की धमकी देते रहते हैं। उक्त आराजी के सीमाओं के संबंध में उक्त अप्रार्थीगण द्वारा वर्ष 2023 में भी विवाद किया गया तब अप्रार्थी संख्या 05 के आदेश दिनांक 25.05.23 के द्वारा राजस्व टीम गठित कर प्रार्थिया के आवेदन पर निशानात कायम करने के आदेश दिये गये जिसकी पालना में उक्त आराजी की नापतौल कर निशानात कायम किये गये, पर्चा मौका भी तैयार किया गया। बाद को आकर उक्त अप्रार्थीगण ने निशानात को खत्म कर दिया और सीमांकन को गलत बताने लगे, झूठे मुकदमें लगाने बनाने की धमकी दी तब प्रार्थिया ने सहमति से पुनः डिमार्केशन कर पत्थरगढी / मुड्डी लगाने की कहा तो सभी स्पष्टः इंकारी हो गये। उपरोक्त स्थिति में सायला के पास न्यायालय में शरण लेने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं रहा है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 05 तहसीलदार राजाखेडा से विवादित आराजी की वस्तुस्थिति रिपोर्ट प्राप्त की गई। अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 04 की ओर से अधिवक्ता मुरारीलाल द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 04 के अधिवक्ता की आरे से जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 04 के विरूद्ध दिनांक 04.06.2025 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है।

प्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी ख0नं0 2412 / 2269 रकबा 0.7588 गांव धारापुरा तहसील राजाखेडा की सभी भुजाओं की सीमा रेखा निर्धारित कर पुख्ता सीमा चिन्ह (पत्थरगढी) प्रार्थीगण के स्वयं के खर्चे पर पुलिस बल की इमदाद में कराए जाने के आदेश अप्रार्थी संख्या 05 को प्रदान किए जावें।

25/6/25
उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

उपखण्ड अधिकारी, राजाखेड़ा जिला धौलपुर (राज.)

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण का मुख्य तर्क यह रहा है कि कई बार पैमाईश एवं सीमांकन के बाबजूद भी अप्रार्थीगण विवाद पैदा करते रहते है तथा तहसीलदार राजाखेडा द्वारा पूर्व में की गयी सीमाज्ञान को सही नही मानते है। तहसीलदार राजाखेडा से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी के ख0नं0 2412/2269 रकबा 0.7588 गांव धारापुरा तहसील राजाखेडा की पैमाइस की जा चुकी है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट प्रार्थीगण ख.न. 2412/2269 रकबा 0.7588 गांव धारापुरा तहसील राजाखेडा के अभिलिखित खातेदार है व स्वयं की आराजी के संरक्षण हेतु पत्थरगढी करा पाने के अधिकारी हैं। गैरसायलान द्वारा प्रस्तुत जबाब प्रा0 पत्र के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि उभयपक्ष के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद रहा है। इसलिये विवाद को समाप्त करने लिये पत्थरगढी कराया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर. एक्ट. स्वीकार किया जाकर तहसीलदार राजाखेड़ा को आदेश दिये जाते हैं कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन न हो तो प्रार्थी की खातेदारी आराजी ख0नं0 2412/2269 रकबा 0.7588 गांव धारापुरा तहसील राजाखेडा का मौके पर फसल सरसब्ज न होने की स्थिति में अनुभवी पटवारियो/गिरदावरों की टीम गठित कर पत्थरगढी करवाना सुनिश्चित करें। प्रार्थीगण से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है। जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नही सभलवाया जावे। यदि पुलिस जाप्ते की आवश्यकता हो तो थानाधिकारी से समन्वय कर पुलिस/होमगार्ड इमदाद प्राप्त की जावे। पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार राजाखेड़ा को भिजवाई जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 25.06.2025 को निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया हैं। निर्णय न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

25/6/25

वर्षा मीना
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
राजाखेडा

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजाखेड़ा * जिला-धौलपुर (राज.) *